Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **खाजूवाला, बीकानेर में सरपंच का दलाल/प्रतिनिधि 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *18 अप्रेल सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डल, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर के दलाल/प्रतिनिधि ओमप्रकाश तर्ड (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास निर्माण की तीसरी किस्त जारी करवाने तथा मस्टरोल भरवाने की एवज में सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डल, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर के दलाल/प्रतिनिधि ओमप्रकाश तर्ड (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री गगनदीप सिंगला** के सुपरविजन में एसीबी बीकानेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनिया** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री आनन्द मिश्रा** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डल, तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर के दलाल/प्रतिनिधि ओमप्रकाश तर्ड पुत्र श्री सहीराम निवासी अन्तोदय नगर, बीकानेर हाल निवासी ग्राम कुण्डल, तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **10 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि एसीबी टीम को देखते ही आरोपी ने रिश्वत राशि को ग्राम पंचायत भवन के हॉल में फेंक दी, जिसे मौके से बरामद कर लिया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** *1064 एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।